

- 1 -  
- 2009 -

FORM I  
(for linear projects)  
Government of ILP.  
Office of the District Collector  
Shimla

No. SVM-SR (27)3034

67)

Date: 25/04/2016,

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In accordance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9-98-FC(36) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Schedule of Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-linear purposes read with MoEF's letter dated 3<sup>rd</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 91.06-74 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Executive Engineer, HP PWD, Shimla-Rural Division, Dhumi, District Shimla for Construction of Gharsog to Kanchi road (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla in Tehsil.

It is further certified that:-

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the area 91.06-74 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (a) Gram Sabha(s), Sub-Divisional Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure / 13 months.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as specified under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Enccl: As above



(Rohan Chawdhary)

Signature

(Full name and official name of the District Collector,  
Shimla District, H.P.)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA  
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 19-03-2016 at 3.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Gharog, Kanohi forest area(s) 01-06-74 hect. under FRA.2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No. Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
	--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No. Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
	--Nil--	
	OR	

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 01-06-74 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 19-03-2016

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT  
 COMMITTEE HELD ON 19-03-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF  
 SHRI Rohan Chand Thakur,IAS, DEPUTY COMMISSIONER , SHIMLA.


The following members of the District Level Forest Right Committee were present.

1. Shri G.C.Negi, Addl. District Magistrate, Shimla	Member Secy
2. Sh. H.K.Gupta, Divisional Forest Officer,Kotgarh	Member
3.. Sh. Raman Sharma, DFO Shimla	Member
4. Sh. Amit Sharma, DFO Rampur	Member
5.Sh. K.R.Kaundal, DFO Theog	Member
6. Sh. Chaman Lal, DFO, Rohru	Member
7.Smt.Neelam Sarai, Member Zila Parishad	Member
8. Smt. <del>Amita</del> , Member Zila Parishad	Member
9. Shri Arvind Kumar, Member, Zila Parishad	Member

At the very outset the Addl. District Magistrate (p) welcomed all the members of the committee and a total 132 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Commiinice placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussion following decision were taken.

Out of total 132 cases 12 cases were split up to be processed Under Section 3.2 of Forest Rights Act, 2006 and it was decided to send back the papers to the user agency to process under FRA. Remaining 119 cases was placed before the committee and approved to be processed under FCA. Only one case i.e. construction of building for Fire Training Centre at Baldeyon was decided to be keep pending for want of formalities.

The meeting ended with vote of thanks.

 (H.K.Gupta) (Raman Sharma) (Amit Sharma) (K.R.Kaundal)  (Chaman Lal)  
 (Smt. Neelam Sarai)  (Smt. ~~Amita~~)  (Shri Arvind Kumar)  (Shri G.C.Negi)

Deputy Commissioner-Cum-Chairman  
 District Level Forest Right Committee  
 Shimla District Shimla, H.P.

(OFFICE OF THE SDO CIVIL),  
DISTRICT - Silvassa (H.P.)

Silvassa (CR)

Proceeding of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right) Act (FRA) 2006.

A Meeting of the District level Committee of Silvassa (CR) Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. Gyan Eager Negi, SDO (Civil)-Silvassa (CR) on 14/7/15 at 11:00 AM/PM at Assistant Engineer H.P.D. (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of Jitlog Gram Sabha, claiming rights Chang forest area (s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Chang Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1	<u>Assistant Engineer</u>	<u>Chang</u>	<u>Road</u>
2	<u>H.P.D Jitlog</u>	<u>No claim of any body has been made</u>	<u>1-0-6-74 Acre</u>

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1			
2			

OR

As informed by ----- Gram Sabha on application was received claiming rights in ----- forest area.

Place:  
Date:

SDO (Civil)-cum-Chairman/ Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

अनुशृण्य जनजाति और अन्य समस्यात बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006  
बन अधिकार समिति  
ग्राम सभा..... दूरी/।  
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 12/16/14

प्रस्ताव संख्या 10

बन अधिकारी समिति ग्राम राना  
को 11 घरें स्थान घरें  
जो अधिकारी में की गई जिसने घरें  
दाव की अनुशृण्य जनजाति और अन्य  
समस्यात बन निवासी (बन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दूरी/ का दाव  
है। बन को जिसने 800 D पिण्ड ग्राम राना, घरें घरें घरें  
में विवर के लिए हैल्टेयर बन भूमि के उपरोक्त को मंजूरी प्रस्तावित है। बन अधिकारी के लिए  
इस दूरी/ ग्राम घरें को आवेदनों पर चर्चा की गई। बन अधिकारी के प्रस्तावी  
का दाव दूरी/ दर्शावें के अध्ययन तथा उस पर विरकू चर्चा के उपरान्त बन अधिकार समिति राम  
ग्राम नियमित तात्रे का दावा नियमानुसार सही दावा नया-  
है।

कठोरी 800 घरें ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम दाव अधिकार का धौरा  
स्थान घरें घरें घरें

घरें 800

दूरी/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम राना से इसकी  
जांच की जाएगी।

जांच में ये दिखित तात्रे का दावा नियमानुसार सही पाया गया-  
-

गठोरी 800 \*पात्र ग्राम वासी का नाम

दाव ग्राम लगा इस धौरे/ इन दावों को पारित करने की सिफारिश करती है।  
तात्रा/ ग्राम सभा इस धौरे/ इन दावों को पारित करने की सिफारिश करती है।

स्थान 11 बड़े घरें  
दिनांक 12/16/14

\* ग्रामधर्मी / ग्राम पासीयों को नाम जिन्होंने इस बन क्षेत्र / जंगल में बन अधिकार के दावे के लिए  
जांच की गई है।

\*\* ग्रामधर्मी / ग्राम पासीयों को नाम जिन्होंने इस बन क्षेत्र / जंगल में बन अधिकार के दावे के लिए  
जांच की गई है।

\*\*\* ग्रामधर्मी / ग्राम पासीयों को नाम जिन्होंने इस बन (सरकारी) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत बन भूमि के उपरोक्त  
की अनुमति दी जानी है।

प्रधान *[Signature]* सचिव  
बन अधिकार कमेटी  
ग्राम पंचायत नैहरा (घरें)  
ग्राम पंचायत नैहरा (घरें)

Annexure-V

वन जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कोटीगुडी  
नियमानुसार  
भूमोड़ी जिला शिवाजीगढ़ (ठिठूर)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

गणपूर्ण

दिनांक 17/6/14

प्रस्ताव संख्या 10

पियां  
P.W.D  
के नियां हेतु कोटीगुडी (कोटीगुडी) जिला / वन क्षेत्र  
में प्रस्तावित  
यी नमूनी को लिए सहनाति प्रदान करने हेतु। कोटीगुडी (कोटीगुडी) जिला / वन क्षेत्र  
हैल्फटर वन भूमि के उपयोग

1405 ग्राम सभा कोटीगुडी (कोटीगुडी) की बैठक आज पियां  
लो 17/6/14 बजे, इथान कोटीगुडी (कोटीगुडी) विभाग/संस्था को कोटीगुडी (कोटीगुडी) नियां हेतु कोटीगुडी (कोटीगुडी) P.W.D  
वन क्षेत्र में प्रस्तावित है। कोटीगुडी (कोटीगुडी) हैल्फटर वन भूमि के उपयोग की मूली के  
प्रदान करने पर चाहाँ की गई है।

तर्हीं ग्रामसभालियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी  
तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि  
दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुशोधित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की  
मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारी के दावों को निपटारे पर भी चार्चा की गई तथा सर्व  
समझ से यह परिवर्त लिया गया कि उचित अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारी के दावों को निपटारे  
साध्यकालीन तरीके पूरी तरह रही हैं। कांली है तथा प्रस्तावित हैल्फटर वन  
भूमि को कोटीगुडी (कोटीगुडी) हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा कोटीगुडी की  
सहमत है जाती है।

स्थान कोटीगुडी  
दिनांक 17/6/14

प्रधान प्रधान संविधान  
वन अधिकार कमेटी  
ग्राम पंचायत नीहरा (घोरा)  
ग्राम सभा

प्रधान संविधान बन अधिकार कमेटी  
ग्राम पंचायत नीहरा (घोरा)

26

24

अनुमति जनजाति और अन्य परम्परागत संस्कृतियों के लिए विशेष विधि का विवरण

वन अधिकारी नाम  
ग्राम सभा.....काठी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....12दिनांक.....17/6/14

वन अधिकार भासिति ग्राम सभा .....काठी दी ईल आज  
 दिनांक 17/6/14 को 4.00 बजे, स्वातं एक्टी की  
 मी/श्रीनामि काठी दी आसाना में की भूमि विधि  
 गांव/गाड़ी के द्वारा उन्नति जनजाति और अन्य परम्परागत विधि विवरण  
 के अनुसुन्धान जनजाति और अन्य परम्परागत विधि विवरण के अनुसुन्धान  
 2000 के अन्तर्गत एक्टी जगत/वन द्वारा संभवित विधि  
 अधिकारी के द्वारा हेतु ग्राम आदेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें काठी की  
 गोपनीय के लिए एवं विवरण के अनुसुन्धान के लिए विवरण की गई।

वन अधिकारी के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दसावेंगों के अध्ययन तथा उस पर विश्लेषण  
 के अनुसार यह जानिति इस वृत्तिएं पर पहुंची कि श्री/श्रीनामि काठी का  
 ग्राम/वन क्षेत्र में एक्टी के द्वारा अधिकार हेतु दावा निराकार सार  
 सही पता गया/सही नहीं पता गया। तदानुसार संसिद्धि इस दावे को पारित करते हुए इसे उप  
 दण्ड विधि की चर्चिति को प्रेषित करती है/तदानुसार संसिद्धि इस दावे को निरत करती है।

स्थान .....काठी  
 दिनांक 17/6/14

ग्राम पञ्चायत एवं विधारी अधिकारी  
 ग्राम सभामंडल काठी /c/

\*\* ग्रोजैकट/ कार्य का गाम विधि के सिए वन (ताराल) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत इन भूमि के  
 उपयोग की अनुमति ही जानी है।

प्रधान जगत सचिव पर  
 वन अधिकार कमेटी  
 ग्राम पंचायत नैहरा (घरोग)

आज दिन 17/6/14 को यह हनुमान कार वर्क्षे  
वा ग्राम पंचायती जीते की बैठक विधि  
प्रदायक समिति की दिवाकर लल की अधिकार  
में लक्षणों की भवित्व प्रपाद्या 125 255 260  
यह हनुमान कार वर्क्षे का वापस 255 260  
दिया गया।

स्थान	1. मुख्यालय सभ्य उकाश	Re
रामगढ़ी	2. सरस्वती सीता राम	Ram
डलाली	3. रामेश्वर रमेश्वर	Delali Ram
सुशुक्ष्मा	4. " वृहनन्द दलीप	Shukshma
मारी चौक	5. " बाबूराम पाठ्य अलकाराम	Mari Chauk
प्रकाशन	6. " रामा घ/० प्रमेश बुकारा	Premesh
म	7. " विद्या घ/० त्रिमूर्ति उकाश	M
पुष्पालय	8. " कान्ता घ/० परमेश	Pushpalay
बीमारी	9. " दर्शना घ/० देवदेव ल	Bimar
नाशिक	10. " सुनत राम घ/० ओमराम	Nashik

मासिक सुनिश्चित  
रिपोर्ट  
मासिक सुनिश्चित रिपोर्ट इसका इस  
उपर्युक्त रूपों का गठन करने के लिए  
लिखा जाए ताकि विवाह विवाह  
के लिए उपर्युक्त रिपोर्ट इसका इसका  
उपर्युक्त रिपोर्ट इसका इसका इसका

दिनांक = 17/6/14

मुद्रा = 10

PAGE No.	
DATE	

पावती भृष्टवाणी = 10

गीता जागति करना महात्मा गांधी की गीता  
अद्वा करने का एक अंदरूनी विषय-मार्ग।

आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हो सकता इस  
उम्हीं लिखे लिखे दूसरे गीतों से इसकी जगह।

ज्ञान उपसर्वात् यत् तिष्ठति गीता रमा।  
गम प्राप्ति वे इसे लिखते रहते रामायारि

पश्चु शृणु कोष्ठते विशेषतां विषयी पश्चु  
जीता है इसे उपसर्वात् यत् तिष्ठति की कान्ति।

अद्वा में बोली है कि विशेषतां विषयी  
ज्ञान उपसर्वात् यत् तिष्ठति हीना।

ज्ञाना त्तिष्ठति गीता रमा।

उपसर्वात् यत् तिष्ठति गीता रमा।

पश्चु शृणु कोष्ठते विशेषतां विषयी पश्चु  
जीता है इसे उपसर्वात् यत् तिष्ठति की कान्ति।

ज्ञान उपसर्वात् यत् तिष्ठति गीता रमा।

उपसर्वात् यत् तिष्ठति गीता रमा।

पश्चु शृणु कोष्ठते विशेषतां विषयी पश्चु  
जीता है इसे उपसर्वात् यत् तिष्ठति की कान्ति।

ज्ञान उपसर्वात् यत् तिष्ठति गीता रमा।

पश्चु शृणु कोष्ठते विशेषतां विषयी पश्चु  
जीता है इसे उपसर्वात् यत् तिष्ठति की कान्ति।

ज्ञान उपसर्वात् यत् तिष्ठति गीता रमा।

प्रयाति  
यह आधिकार करनी

ज्ञान उपसर्वात् यत् तिष्ठति गीता रमा।

Meera Bhattacharya

रमायाजी

अनुमोदित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006  
 वन अधिकार समिति  
 ग्राम सभा दारोग  
 प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 17/06/14

प्रस्ताव संख्या 10

दन अधिकारी समिति ग्राम सभा का द्वारा 17/06/14 की बैठक आज दिनांक 17-06-14  
 को 11:00 बजे स्थान दारोग में श्री/ श्रीमति सरदार पटेल  
 की अध्यक्षता में की गई जिसमें दारोग गांव की अनुमोदित जनजाति और अन्य  
 परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत  
 जंगल / दन क्षेत्र में (जिल्हे, तालुक, पुण्डि) विभाग द्वारा दारोग द्वारा लिखित के लिए  
 के निर्माण के लिए 10674 हैवटेयर वर्क भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। )वन अधिकारों के लिए  
 दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों  
 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा  
 द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	<u>लाल पुण्डि</u>	<u>दारोग (दारोग)</u>	—
2	<u>रमेश</u>	—	—

लगानुसार यह दन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी  
 सिफारिश की गई है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्रमांक \*पात्र गांव वासी का नाम

1  
 2  
 तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान दारोग  
 दिनांक 17/6/14

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता  
 ग्राम सभा दारोग संस्था  
 वन अधिकार कमेटी  
 ग्राम पंचायत नैहरा (घोरो)

\* ग्रामवासी / ग्राम वासियों के नाम जिन्होंने इस दन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए  
 आवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग  
 की अनुमति दी जानी है।

## Annexure-II

अनुच्छेदित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006  
 ग्राम सभा.....  
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 10

दिनांक

ग्राम सभा दृष्टीय

बजे स्थान दृष्टीय

गई जिसमें दृष्टीय

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में जिसमें दृष्टीय विभाग द्वारा दृष्टीय करन्दाहल के निर्माण के लिए 10674 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। ) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

कठनों

\*पात्र गांव वासी का नाम

जंगल क्रा नाम

वन अधिकार का व्यौरा

1

ए८५ प्रकाश

दृष्टीय

प्रकाश

2

रमेशराज

"

"

दावानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्राप्त करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

कठनों

\*पात्र गांव वासी का नाम

1

2

दावानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इह ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान  
दिनांक 17/6/14

अधीकृत उपरान्त प्रकाश संघ  
ग्राम सभा वन अधिकार कमेटी

ग्राम पंचायत नैहरा (घोरा)

\* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए अवेदन किया है।

\*\* प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग को अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा

द्वयोग

विकास खण्ड

प्र०

जिला

प्र०

(हिंग्रो)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 17/6/14

गणपूर्ति 70

प्रस्ताव संख्या 10

विषय: 17/6/14 के द्वयोग विभाग / संस्था को 17/6/14 की तिथि के बैठक की गई चर्चा में निर्माण हेतु जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैकटेर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा 17/6/14 को 11:00 बजे स्थान द्वयोग की गई चर्चा में विभाग / संस्था को 17/6/14 के निर्माण हेतु जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित हैकटेर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे हैकटेर वन भूमि को निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

स्थान

द्वयोग

दिनांक

17/6/14

प्रधान *[Signature]* सचिव  
वन अधिकार कमेटी  
अधीकृत हस्ताक्षरकारी *[Signature]*  
ग्राम सभा

6

9

PAGE No.	
DATE	

आज दिन के १७/६/१५ को बन ली गयी कार्रवाई का गाड़ा पुलवामा हाथी जीते वाली विजय की ओर पश्चात् स्पीसियल फोर्स ट्रिब्युक्टर्स की उपचायक में लोगों वहि के की गई रिपोर्ट द्वारा लोगों की कुल रक्षित दर १५५० रुपये बन ली गयी कार्रवाई का दरमान ८५० रुपये द्वारा बिक्या गया।

१. पुलवामा	सत्य प्रकाश	Rehman
२. सैनियर	सीता राम	Ram
३. सैनियर	रवेश राज	Ravesh Raj
४. "	वहानद दलील	Wahana Daliyal
५. "	बाबांदा घुरु अलकराम	Babar Ghurum Alkaram
६. "	राधा घुरु कुमार उकाहा	Radha Ghurum Kumarukaha
७. "	विदा घुरु कुमार उकाहा	Vidha Ghurum Kumarukaha
८. "	बाबा घुरु परमेश्वर	Babar Ghurum Parameshwar
९. "	बाबा घुरु देवकरण	Babar Ghurum Devakaran
१०. "	सलाम राम घुरु शिवराम	Salam Ram Ghurum Shivaram

रोका दृष्टि व प्रत्यावरण की दिशा माना जा रहा है। उपरोक्त लोगों का गाड़ा उक्त दृष्टि है। तथा उक्त गाड़ा दूसरे प्रयोग के लिए उपरोक्त लोगों को आधिकार सीमिती और आधिकार सीमित नहीं की गई। तथा उक्त गाड़ा विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग के लिए उपरोक्त लोगों को आधिकार सीमित नहीं की गई। उक्त गाड़ा की विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। तथा उक्त गाड़ा की विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। उक्त गाड़ा की विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी।

7

4

PAGE No.	
DATE	

साल दोहरा १९६६/६७ (F.R.C) ७७  
 अधिकारी स्थानीय का विवरण जैविक  
 संस्था पुनर्गठन कार्यक्रम के अन्तर्गत है।  
 गवर्नर बॉर्ड के नाम तथा दिनांक ३०. ०८. १९५५  
 पुनर्गठन दिनांक

गवर्नर बॉर्ड के विवरण का विवरण करें।

गवर्नर बॉर्ड के विवरण करें।

प्रबलाप्त अधिकारी स्थानीय कार्यक्रम का विवरण करें।

पार्वती कुरुक्षेत्र द्वितीय पार्वती

असाधन असाधन असाधन असाधन असाधन असाधन असाधन

अप्रैल अधिकारी का नाम विद्युत यंत्रों का नियन्त्रण करने वाला है।

रमा ३४ रामा २५६ / २७ अग २० १०४ २१ ०१२१ चुमा रमा

२१२ बुधवार को विद्यालय में आया।

प्रभु ने अपनी विद्या को बहुत ज्ञानी तरीके से प्रसारित किया है।

विद्युती है ग्रन्थ समाप्ति के बाबा कावत।

अपेक्षा के बाहर है वह जिसका अपेक्षा

दीना २०२२/११/३० तिथि से लगाव में दीना

विवाह संस्कार नियमों की विवरण

२१८४। ५। १५६ फ़िल्म विक्री करने वाली दुकानें और गोदानों की संख्या।

प्रायः से रेति विद्युत् अस्ति च विद्युत्

ପାତା କିମ୍ବା ପାତାର ଦେଖିଲୁ କିମ୍ବା ପାତାର ଦେଖିଲୁ

1559 06-2 2013 4116

4. ~~WATER GUN~~ - ~~SHOOTING~~ ~~AT~~ ~~THE~~ ~~BOAT~~

01051250 41144414-20-012111- 01211

6/11/21 Friday

କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମୁହଁରା କାନ୍ତିର ପାଦରେ ମୁହଁରା

~~1947-1952~~ 1947-1952

*Sulphur* *Yellow Sulphur*

०९०८७२४१-५१८१-२०२१।

~~100~~ ~~55~~ ~~114~~

11. 10. 1971

महाराष्ट्र, १५ मार्च

मीरा मीरा

२०१२/१ रात्रि १०८४ विजय शुक्ला

~~10-211~~ ~~W. 1000 ft. S. of~~ ~~Shady~~

196 West End